## प्रेस नोट

## जनपद सीतापुर

# मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त को हुई 11 वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा

**दिनांकः-12.10.2021**

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 12.10.2021 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर 11 वर्ष कठोर कारावास एवम् 5,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना हरगांव से सम्बन्धित मु0अ0सं0 182/11 धारा 498ए/304बी/201 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम विजय पाल उर्फ राजू पुत्र मनोहर सिंह निवासी ग्राम नरहरपुर थाना हरगांव जनपद सीतापुर में हरगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 12.10.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त विजयपाल उर्फ राजू उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 498ए/304बी/201 भा.द.वि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 11 वर्ष कठोर कारावास व 5,000/-रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••